संख्या-54/2022/2022/I/165235/2022/001-71-2099-455-2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक** 17 **मई**, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 **में के0जी0एम0यू0 लखनऊ में मोर्चरी के निकट आर0एम0बी0आर0 पद्धति पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट** (एस0टी0पी0) **की स्थापना/ निर्माण प्रायोजना हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-522/**योजना अनु**0/2022, **दिनांक** 11.04.2022 **का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 लखनऊ के अन्तर्गत ओ0पी0डी0, मोर्चरी तथा कन्वेंशन सेंटर के निकट आर0एम0बी0आर0 पद्धति पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट** (एस0टी0पी0) **की स्थापना/निर्माण प्रायोजना हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।**

2- **अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या**-27/2021/4712/71-2-2021-**के0जी0एम0यू0**-32/2019 **टी0सी0, दिनांक** 12.03.2021 **के द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की अनुमोदित लागत रू0** 177.48 **लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष रू0** 88.74 **लाख अवमुक्त किए जाने के आदेश निर्गत किए गए थे।**

3- **उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक** 11.04.2022 **के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 लखनऊ में मोर्चरी के निकट आर0एम0बी0आर0 पद्धति पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट** (एस0टी0पी0) **की स्थापना/निर्माण प्रायोजना हेतु प्रयोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों के मूल्यांकन** (अप्रेजल) **एवं औचित्य के परीक्षण हेतु गठित मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0** 177.48 **लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष** 2022-23 **में के0जी0एम0यू0 के** '24-**बृहद निर्माण कार्य**' **में प्राविधानित धनराशि से रू0** 88.74 **लाख** (**अनुदान संख्या**-31 **से रू0** 70.10 **लाख एवं अनुदान संख्या**-83 **से** 18.64 **लाख**)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) **विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/वित्ती अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.12.2021 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(2) **विश्वाविद्यालय/कार्यदायी संस्थाच द्वारा प्रश्न गत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।**

(3) **विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसेचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।**

(4) **विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।**

(5) **प्रश्नतगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।**

(6) **अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।**

(7) **कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।**

(8) **आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।**

(9) **कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।**

(10) **सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) **विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्तप करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।**

(12) **प्रायोजनान्तर्गत कार्य मदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि** 10 **प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति से पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर** 01 **माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।**

(13) **प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स)** 2016 **के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर /ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/ गर्वमेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(14) **प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।**

(15) **प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।**

(16) **प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।**

(17) **प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।**

(18) **प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर संबंधित निदेशक/कुलसचिव /प्रधानाचार्य द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 70,10,000 (**रुपये सत्तर लाख दस हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050600 **किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 18,64,000 (**रुपये अठारह लाख चौंसठ हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893100 **के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

5- **यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग** - 1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-15/2021/**बी**-1-829/**दस**-2021-231/2022, **दिनांक**- 30 **दिसंबर**, 2021 **एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग** - 1 **के शासनादेश संख्या**: 5/2022/**बी**-1-224/**दस**-2022-231/2022 **दिनांक**- 29 **मार्च** 2022 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 54 /2022/ I/165235/2022 **/001-71-2099-455-2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।**
2. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्साण विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
5. **वित्त ई**-3/**नियोजन अनुभाग**-4/**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग**-2
6. **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।**
7. **निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।**
8. **नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।**
9. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Filename: 54
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 5/17/2022 5:51:00 PM
Change Number: 4
Last Saved On: 5/17/2022 5:52:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 2 Minutes
Last Printed On: 5/17/2022 5:52:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 1,116 (approx.)
Number of Characters: 6,365 (approx.)